संख्या: 86/2018/1520/छप्पन-2018-11/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2018

विषय: जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य को कराए जाने हेतु कार्यदायी संस्था के साथ अनुबन्ध का निष्पादन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 239-ए/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यों के सम्पादन के लिए श्री राज्यपाल राज्य सरकार की निर्माण इकाई कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम की सेवायें कार्यदायी संस्था के रूप में प्राप्त करने हेतु उनसे संलग्न आलेख्यानुसार अनुबन्ध करने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था द्वारा राजकीय हवाई पट्टी, फैजाबाद की रिसरफेसिंग तथा अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्यों के सम्पादन के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवायें प्रायोजना की अवधारणा संकल्पन से लेकर उसको क्रियाशील बनाने (कमीशन करने) तक समस्त गतिविधियों जैसे-सर्वेक्षण, परिकल्पना, भू-वैज्ञानिकीय अध्ययन, निर्माण प्रबन्धन, निविदाओं को अन्तिम रूप देने सहित संविदा प्रबन्धन, संविदा की स्वीकृति, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रायोजना के अनुश्रवण, नियंत्रण आदि के लिए प्रदान की जायेंगी।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना के निर्माण हेतु शासन द्वारा दी गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में निहित धनराशि के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था निविदाओं के तकनीकी एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन तथा कार्य नियमानुसार सम्पादित कराने एवं उपयुक्त ठेकेदार/ठेकेदारों के नियमानुसार चयन के लिए उत्तरदायी होगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) संस्था अपने अधीन एक संगठनात्मक दल की संरचना करेगी जो प्रायोजना के कार्यों के प्रारम्भ होने की तिथि से सम्पन्न होने की तिथि तक प्रतिदिन के कार्यों के पर्यवेक्षण तथा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगी। संस्था का यह दल प्रतिदिन सम्पादित कराये जा रहे कार्यों के लिए नमूना परीक्षण तथा कार्यों की निर्धारित मानकों के आधार पर गुणवत्ता आदि का सम्यक परीक्षण व अनुरक्षण सुनिश्चित करायेगी। संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत लागत के अनुसार धनराशि के प्रारम्भिक भुगतान के छः माह के अन्दर पूर्ण कराये जायेंगे।

(4) संस्था द्वारा एक समय-सारिणी बना कर कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराया जाएगा।

(5) संस्था को उसकी उल्लिखित विशेष सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप प्रायोजना की अन्तिम निर्मित मूल्य (**Final build up Project Cost**) पर 12.5 प्रतिशत की दर से कन्स्ट्रक्शन एजेन्सी के शुल्क का भुगतान शासन से अनुमन्य होगा जो अन्तिम निर्मित मूल्य में समायोजित होगा।

(6) शासन द्वारा संस्था को कार्य प्रारम्भ करने एवं उसके सम्पादन के लिए इंडेम्निटी बांड के सापेक्ष उक्त परियोजना के लिए रू0 365.23 लाख (रूपये तीन करोड़ पैंसठ लाख तेइस हजार मात्र) का अग्रिम भुगतान प्रथम किश्त के रूप में किया गया है जो परियोजना के अन्तिम निर्मित मूल्य में समायोजित होगा।

(7) संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-52/2018/588/छप्पन-2018-11/2013 दिनांक 17.05.2018 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा, जो निम्नवत् है:-

(क) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य कराए जाने विषयक प्रायोजना प्रस्ताव का शासन द्वारा परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जैसे-नए कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।

(ग) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर के ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(घ) प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किए जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन/कार्यदायी संस्था का होगा।

(च) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(छ) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(ज) स्वीकृत विशिष्टियों, मानकों व गुणवत्ता के अनुरूप कार्य को सम्पादित कराने तथा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किए जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(झ) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**vii**) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ट) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जाएगी।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ठ) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाए जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(ड) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(त) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

(8) संस्था द्वारा कराए गए कार्य का **third party Inspection** कराया जाएगा तथा इसके परिणाम से शासन को निदेशक, नागरिक उड्डयन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा।

(9) प्रस्तावित अनुबन्ध के एपेन्डिक्स-जी को अनुबन्ध में संलग्न किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित अनुबन्ध के एपेन्डिक्स-एफ के शर्त-3 पर अपनी आश्वस्ति एवं समाधान किया जाएगा।

(11) विचाराधीन अनुबन्ध में न्याय विभाग द्वारा जो संशोधन/परिवर्द्धन/प्रतिस्थापन/निरसन किया गया है, उस पर निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अपना समाधान करते हुए अनुबन्ध का निष्पादन किया जाएगा।

(12) प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख्य के साथ संलग्नकों को संलग्न करना निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) प्रस्तावित अनुबन्ध के आलेख्य में संक्षेपाक्षरों, रिक्त स्थानों की पूर्ति, तथ्यात्मक बातों की शुद्धता एवं तकनीकी पहलुओं पर अपनी आश्वस्ति निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वयं की जाएगी।

(14) इन्टरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं अन्य सम्बद्ध कार्य एतदर्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाएगा।

संलग्नक-अनुबन्ध का आलेख्य।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी

अनु सचिव

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0: 86/2018/1520(1)/छप्पन-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।